

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

मेसर्स मारिमा (एन्वयर्स) बनाम 20/04/24

किरम धारा 111-128 वाद/प्रा.पत्र

मु0नं0 450/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/1/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(गुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 31/1/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>Shad</u> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p> <p>31/01/24 कलक्टर के पद पर / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से 'Not Proves' अर्थात् प्रमाण के अभाव में प्रकरण खारिज किया जाता प्रकरण केसल मुकाम केका मन्दा से कम किया जाये।</p> <p style="text-align: right;"><u>Shad</u> उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा</p>	<p>Not Proves</p> <p style="text-align: right;"><u>Shad</u></p> <p>शुभाश लाल उर्वर 31.01.24</p>